रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072021-228299
CG-DL-E-14072021-228299

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2621] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 2021/आषाढ़ 23, 1943
No. 2621] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 2021/ASHADHA 23, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2021

का.आ. 2826(अ).—आयकर अधिनिम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ 'हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड' (पैन AAATH2451C), जो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, को उद्भूत होने वाली निम्न विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, नामतः-

क. नियोक्ता एवं कर्मचारियों के द्वारा श्रम कल्याण निधि में अंशदान;

ख. अदा न किया गया संचय जो कर्मचारियों को देय हो चुका था परन्तु नियोक्ता के द्वारा 2 वर्ष की समयावधि के भीतर अदा नहीं किया गया हो;

ग. अंशदान देरी से जमा करने एवं अदा न किए गए संचय पर दंड;

घ. बोर्ड के स्टाफ को दिए गए ऋण एवं अग्रिम राशि पर ब्याज; तथा

ङ. निवेश से प्राप्त ब्याज आय।

2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अन्तर्गत प्रभावी होगी कि, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड-

क. किसी वाणिज्यक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

ख. वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधियां एवं विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और

ग. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार विवरणी दायर करेगा।

घ. जैसा कि आयकर अधिनिमय, 1961 की धारा 288(2) के स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया है, चार्टड एकांटेंट से इस प्रमाण पत्र के साथ कि उपर्युक्त शर्तें पूरी कर ली गई है लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापति विवरणी के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 01-06-2020 से 31-03-2021 की समयावधि के लिए एवं वित्त वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 से भी लागू होंगी।

[अधिसूचना सं. 80/2021/फा. सं. 300196/30/2018-आईटीए-I]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना को पूर्वप्रभावी प्रभाव देने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2021

S.O. 2826(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Haryana Labour Welfare Board' (PAN AAATH2451C), a Board constituted by the State Government of Haryana, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

(a) Contribution to the Labour Welfare Fund by the Employers and Employees;

(b) Unpaid accumulation which were due to employees but not paid to them within a period of 2 years by the Employer;

(c) Fine on delayed deposit of contribution and unpaid accumulation;

(d) Interest on loans and advances given to staff of the board; and

(e) Interest income received from investment.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Haryana Labour Welfare Board,-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

(d) shall file the Audit report along with the Return, duly verified by the accountant as provided in explanation to section 288(2) of the Income-tax Act, 1961 along with a certificate from the chartered accountant that the above conditions are satisfied.

3. This notification shall apply for the period from 01-06-2020 to 31-03-2021 in the financial year 2020-2021 and also from the financial years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025.

[Notification No. 80/2021/F. No. 300196/30/2018-ITA-I]

PRAJNA PARAMITA, Director

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.14 22:19:08 +05'30'